

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223762
SG-DL-E-18122020-223762

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2020/अग्रहायण 26, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं.222
No. 271]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942	[N. C. T. D.No.222

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सं.फा.228/डी.डी.ई. (आईईबी)/प्रशा. सैल/2018/3691.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संसाधन केन्द्र समन्वयक के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, संसाधन केन्द्र समन्वयक भर्ती नियमावली 2020 कहा जाएगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।**6. बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	संसाधन केन्द्र समन्वयक		
2.	पदों की संख्या	12* (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।		
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय		
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	स्तर-8 (47,600 -1,51,100/- रुपये)		
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं।		
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट : आयु सीमा निर्धारण की अन्तिम तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड / सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन के अनुसार होगी।		
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य		वांछनीय
		योग्यता	अनुभव	योग्यता अनुभव
		1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि 2 बी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड (सामान्य शिक्षा) के साथ विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा अथवा बी.एड (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण -पत्र अथवा विशेष शिक्षा में (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	मान्यता प्राप्त समावेशी / नियमित विद्यालय अथवा विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 जिसे पहले विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 नाम से जाना जाता है के अन्तर्गत पंजीकृत से बाल विकलांगता के लिए विशेष/समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव	लागू नहीं लागू नहीं

		अथवा विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता : शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा विशेष शिक्षा में (गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा बधिर शिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा अथवा श्रवण हानि में बी0ए0 बी0एड 3. भारतीय पुर्नवास परिषद (आर सी आई) के साथ पंजीकरण			
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु – लागू नहीं शैक्षिक योग्यता – लागू नहीं			
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष			
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	तरीका	प्रतिशत		
		सीधी भर्ती द्वारा टीप:- पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार : (क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूपधारी या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर –7 (44,900 – 1,42,400 / – रुपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।	100 %		
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	लागू नहीं।			
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	पदोन्नति	सीधी भर्ती का स्थायीकरण		
			1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. निदेशक (शिक्षा) 3. अपर निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव (शिक्षा) 4. अपर सचिव /संयुक्त सचिव (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार		

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। नोट – लागू नहीं।
-----	--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर

शिंगारे रामचंद्र महादेव, उप सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th December, 2020

No.F.228/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/3691.— In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make following recruitment rules for the post of Resource Center Coordinator in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(i) These rules may be called Directorate of Education, Resource Center Coordinator Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix.**- The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person:

- a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(1)	Name of post.	Resource Center Coordinator
(2)	Number of posts.	12* (2020) *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification.	General Central Service Non Ministerial Non Gazetted Group, B
(4)	Pay level in the Pay Matrix.	Level-8 (Rs. 47,600-1,51,100)
(5)	Whether Selection post/ Non-selection post.	Not applicable
(6)	Age limits for Direct Recruits.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.

(7)	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential		Desirable	
		Qualification	Experience	Qualification	Experience
		1. Masters Degree from recognized university. 2. B.Ed. (Special Education) OR B.Ed. (General Education) with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education. OR B.Ed. (General Education) and Post Graduate Professional Certificate in Special Education. OR PG Diploma in Special Education (Mental Retardation). OR PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological). OR PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy). OR Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment. OR Senior Diploma in Teaching the Deaf. OR BA B.Ed. in Visual Impairment. 3. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI).	One year of experience in the field of special/ inclusive education for children with disabilities from recognized inclusive/ regular schools or special schools registered under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 which was earlier named as Persons with Disabilities Act, 1995.	NA	NA
(8)	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Age: NA Educational Qualifications: NA			
(9)	Period of Probation if any.	Two years			

(10)	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Method		Percentage
		Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department, or (ii) with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).		100
(11)	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not applicable		
(12)	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Promotion	Confirmation of DR	
			1. Principal Secretary/ Secretary (Education), GNCTD 2. Director of Education 3. Additional Director/ Additional Secretary/Joint Secretary (Education) 4. Additional Secretary/Joint Secretary (Planning), GNCTD	
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary. Note: NA		

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMACHANDRA MAHADEV, Dy Secy. (Education)